बिहार सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

संख्या–03 / एम0एम0(बा0)–08 / 2025–............... / एम0, पटना, दिनांक–04/06/26

विषयः–राज्यान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किये जाने के संबंध में।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–29 क(1) के अनुसार लघु खनिज के रूप में बालू की बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा / राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सबसे अधिक ई–बोली लगाने वाले (उच्चतम डाकवक्ता) के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी–सह–निविदा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। वर्त्तमान में बालूघाटों की ई–नीलामी बेल्ट्रॉन के माध्यम से E-Proc द्वारा करायी जाती है।

2. बालूघाटों की बंदोबस्ती के पश्चात् संचालन हेतु बालूघाटों का खनन योजना तैयार कराना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति तथा CTO/CTE जैसे वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त किया जाना आवश्यक है। वर्त्तमान में इन सभी आपत्तियों को प्राप्त करने में लगभग 300 दिनों का समय लगता है, जिससे राज्य सरकार को अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति में विलम्ब होता है।

3. बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद के द्वारा जिन बालूघाटों की नीलामी के पूर्व खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना है, का निर्णय लिया जाएगा एवं उक्त बालूघाट के नीलामी के पश्चात् सफल उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति का स्थानान्तरित किया जायेगा एवं इस पर हुए व्यय की वसूली बंदोबस्तधारी से की जाएगी।

4. अतः बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के नियम–17(4)(v) एवं 18(2)(i) के परन्तुक में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राज्यान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–27.05.2026 की बैठक के मद संख्या–14 में दी गई है।

कृ0पृ0उ0

D/Sonamji/Sanjay/Sanlekh/Sankalp

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—03/एम0एम0(बा0)—08/2025—................./एम0, पटना, दिनांक—.................
प्रतिलिपिः—अवर सचिव (ई—गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—03/एम0एम0(बा0)—08/2025—................./एम0, पटना, दिनांक—.................
प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—03/एम0एम0(बा0)—08/2025—................./एम0, पटना, दिनांक—.................
प्रतिलिपिः—सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—03/एम0एम0(बा0)—08/2025—................./एम0, पटना, दिनांक—.................
प्रतिलिपिः—सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—03/एम0एम0(बा0)—08/2025—................./एम0, पटना, दिनांक—.................
प्रतिलिपिः—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक—27.05.2026 की बैठक में मद संख्या—14 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

D/Sonamji/Sanjay/Sanlekh/Sankalp

ज्ञापांक–03 / एम0एम0(बा0)–08 / 2025–.................... / एम0, पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–03 / एम0एम0(बा0)–08 / 2025–3592 / एम0, पटना, दिनांक–04/06/26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/06/26

सरकार के अपर सचिव।

D/Sonamji/Sanjay/Sanlekh/Sankalp

4.6.26